

“प्रशासन गांव के संग अभियान - 2021”

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर सागाद

(शिविर स्थान लहरी)

2022/21

आदेश

दिनांक 12-3-22

प्रार्थी के “खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र पटवारी लहरी

व. भू. अ. नि लहरी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सागाद

नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम अल्हाड़ी तहसील सागाद व

जिला कोरा की जमाबन्दी सम्बन्ध 2073-78 में खाता संख्या 129

में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
	अल्हाड़ी	129	रामपुनिया पुड रामकलाण	हरिपुनाद पुड रामकलाण

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर

सागाद जिला कोरा

12.3.2022

दिनांक :- 30-12-21

क्रमांक :- 25/22
प्रतिलिपि :- सागाद

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2. प्रार्थी श्री उपरान्तानुसार को सूचनार्थ ।

3. रक्षित पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर